

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

आदेश-पत्रक

पक्ष

बनाम्

सत्यनारायण पाण्डेय वगै०
प्रथम पक्षसुरेन्द्र यादव वगै०
द्वितीय पक्ष


देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.....से.....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या.....55.....सन् 2003

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.4.23	<p>आवेदक सत्यनारायण पाण्डेय वगै० पिता स्व० बासुदेव पाण्डेय, साकिन-चौधरीडीह, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-सिंगदाहा, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह अंतर्गत खाता सं०-77, प्लॉट नं०-40, रकवा-09 डी०, चौहद्दी: 30-खरीदगी परमेश्वर प्रसाद कुशवाहा व सुरेन्द्र यादव, द०-निज मोकिर, पू०-रास्ता वो प्लॉट नं०-39, प०-डेगन यादव वगै० में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया से मांगे।</p> <p>अभिलेख दिनांक13.5.23.....</p> <p>को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया </p>	

6.7.23

प्रथम पक्ष 300 / द्वितीय पक्ष 300

प्रथम पक्ष की ओर है जकाव का विकास

द्वितीय पक्ष मजानिक
 अत्र पदिपन है तथा कारता
 प्रथम पक्ष का विकास नहीं किसे
 हैं, अतः उपलब्ध स्त्रावेओ
 के आधार पर यह आदेश
 पारित किया जाता है,
 प्रथम पक्ष के अत्र
 प्रथम पक्ष की प्रमाण
 मिति एक ही है तथा
 द्वितीय पक्ष अत्र पक्ष अवल
 59 म - ककसा कला पक्ष है
 है। अतः प्रथम पक्ष का
 द्वारा भी उपलब्ध ककसा की
 पुरि की गई है, अतः
 निष्कर्ष को प्रथम पक्ष के
 दिन में रिक्त तथा द्वितीय

श्री क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>पक्ष के निरन्तर निरपेक्ष दोषित किया जाता है। उक्त आदेश 144(4) तहत 60 दिनों के लिये प्रभावी होगा।</p> <p style="text-align: right;">L 5/10/23</p>	